



महोबा पुलिस

दिनांक- 29.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 799/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 29.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

दिनांक- 29.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 801/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारियों एवं टीम की गोष्ठी आयोजित, मिशन शक्ति से संबंधित गूगल फॉर्म के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिए गए आवश्यक निर्देश

आज दिनांक 29.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी एवं सफल संचालन के सम्बन्ध में जनपद के समस्त थानों में संचालित मिशन शक्ति केन्द्रों के प्रभारियों, नियुक्त उपनिरीक्षकों एवं महिला आरक्षियों की महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी में मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में तैयार किए गए गूगल फॉर्म के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गूगल फॉर्म का विधिवत अध्ययन करने, उसमें अपेक्षित सूचनाओं एवं बिंदुओं को समझने तथा मिशन शक्ति केन्द्रों के जमीनी स्तर पर प्रभावी संचालन से सम्बन्धित व्यावहारिक सुझाव एवं अनुभव तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि अभियान की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी, व्यवस्थित एवं परिणामपरक बनाया जा सके।

इस दौरान मिशन शक्ति केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन एवं महिला कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किए जाने तथा जरूरतमंद महिलाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि मिशन शक्ति केन्द्रों पर नियुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें तथा महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान लेते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक एवं सहायता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

गोष्ठी के दौरान मिशन शक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, टीमों के मध्य बेहतर समन्वय, प्राप्त सूचनाओं के गुणवत्तापूर्ण संकलन तथा प्रयागराज जोन के गूगल फॉर्म के माध्यम से मिशन शक्ति की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।





दिनांक- 29.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 802/26

महोबा पुलिस

पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रति छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक, अधिकारों एवं विधिक संरक्षण की दी गई जानकारी...

गांधी जयंती के अवसर पर दिनांक 26.09.2026 से 02.10.2026 तक जनपद महोबा के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों एवं विधिक परिणामों के संबंध में छात्र-छात्राओं को जागरूक एवं संवेदनशील किए जाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला की अध्यक्षता में शिशु शिक्षा निकेतन इ0 का0, महोबा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्री नितिन कुमार राठी, सिविल जज सी0डी0, श्री पीयूष त्रिपाठी एवं श्री अरुण कुमार द्वारा छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, लैंगिक अपराधों से सुरक्षा तथा ऐसे मामलों में उपलब्ध विधिक संरक्षण एवं सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

इस दौरान छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार अथवा लैंगिक अपराध से संबंधित घटना की स्थिति में बिना किसी भय अथवा संकोच के अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को तत्काल अवगत कराने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उपलब्ध विभिन्न सहायता एवं शिकायत तंत्र के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।

पुलिस विभाग द्वारा विद्यालयों में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किए जाने के साथ-साथ अभिभावकों एवं शिक्षकों को भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील एवं सजग रहने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि पॉक्सो अधिनियम-2012 बच्चों को लैंगिक अपराध, लैंगिक उत्पीड़न एवं अश्लील सामग्री से संबंधित अपराधों से संरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष कानून है, जिसमें बाल-अनुकूल विधिक प्रक्रियाओं का भी प्रावधान किया गया है।

जनपद महोबा पुलिस द्वारा अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न विद्यालयों में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किए जाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।



